

**CATTLE FEED FACTORY SHIVPURI (M.P.)
UNIT OF GWALIOR SAHAKARI DUGDHA SANGH
MARYADIT, GWALIOR (M.P.)**

**TENDER FOR LABOUR CONTRACT
FOR 3 YEARS**

DATE:-26-09-2024

CATTLE FEED FACTORY SHIVPURI (M.P.)

Phone :- 9340368825

E- mail : cffshivpuri@gmail.com

gwaliordairy@gmail.com

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर (म.प्र.)

:: इकाई :: पशु आहार संयंत्र शिवपुरी (म.प्र.)

—: ई—निविदा संबंधी जानकारी :—

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी हेतु श्रमिक ठेका ई—निविदा		
S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	03-09-2024 02:00PM
2	Purchase of Tender End Date	24-09-2024 03:30PM
3	Bid Submission End Date	25-09-2024 04:00PM
4	Financial bid Open Date	26-09-2024 04:30PM

निविदा प्रपत्र का मूल्य :— रु. 1000 /— (एक हजार रु. मात्र)

निविदा खोलने का स्थान :— ग्वालियर सह. दुग्ध संघ मर्या. ग्वालियर
गोले का मन्दिर ग्वालियर (म.प्र.)

EMD :— रु. 150000 (एक लाख पचास हजार रु. मात्र)“

“मध्यप्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।” निर्धारित समय सीमा में भौतिक रूप से जमा की जाने वाली तकनीकी बिड के साथ उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि:—

1. लिफाफा क्रमांक 01 में “ई0एम0डी0” का ववरण लिफाफे पर “ई0एम0डी0” लिखा जावे।
2. लिफाफा क्रमांक 02 में “तकनीकी अर्हताएं” प्रस्तुत की जावे।
लिफाफे पर “तकनीकी अर्हताएं” लिखा जावे।
3. प्रपत्र-03 श्रम अनुबन्ध निविदा की शर्तें।
4. प्रपत्र-04 “भाव पत्र/दरें पेज क्रमांक 14 से 17 तक
5. उक्त दोनो बन्द लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत किये जावें। पहले ई0एम0डी0 का लिफाफा क्रमांक 01 खोला जावेगा। ई0एम0डी0 संबंधी अर्हता पूर्ण होने पर तकनीकी अर्हताएं का लिफाफा क्रमांक 02 खोला जावेगा। उसमें सफल निविदाकर्ताओं की ही financial bid खोली जावेगी।
6. निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी। इसलिये अपनी शर्तों का उल्लेख किसी निविदा प्रपत्र में नहीं करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकार
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.

ई0एम0डी0 विवरण (प्रपत्र 01)
ई0एम0डी0 (लिफाफा क्रमांक 01)

GWALIOR SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
GOLA KA MANDIR, GWALIOR

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी में तीन वर्ष की अवधि हेतु ठेका श्रमिक प्रदाय संबंधी ई- निविदा

EMD

Bidder's Name	
EMD Rs.	
Transaction no.	
Date	

स्थान:—

हस्ताक्षर निविदाकार

दिनांक:—

नाम:—

वर्तमान पता:—

स्थायी निवास का पता:—

मोबाइल नम्बर:—

तकनीकी अर्हताएँ (प्रपत्र-02)

तकनीकी अर्हताएँ (लिफाफा 02)

कार्यालय पशु आहार संयंत्र शिवपुरी, जिला शिवपुरी

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या,
ग्वालियर (म.प्र.)

महोदय,

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी में ठेके पर श्रमिक प्रदाय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मियों की सेवा प्रदाय हेतु दिनांक 03-09-2024 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रु. 150000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) का online दिनांक
...जो कि, संलग्न कर रहा हूँ एवं निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

क्र०	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें/विवरण दें
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।	है / नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है / नहीं
3	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लाइसेन्स क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है / नहीं
4	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक <u>मण्डल/मुख्य</u> कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र	है / नहीं
5	भविष्य निधि कोड नं.।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है / नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है / नहीं

7	जी.एस.टी. नं.।	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभागका पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं
9	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण एवं संबंधित विभाग से अधतनस्थिति में जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र।	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में जमा कराये गये ई. पी.एफ की राशि के चालानों की छाया प्रति एवं वर्षवार लेखा पत्रक (समरी)।	है/नहीं
10	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का टर्न-ओवर प्रतिवर्ष रु0 30 लाख से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिये।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानी खाते (Profit & Loss A/c) की प्रमाणित छायाप्रति तथा आडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी बी एवं 3 सी डी)	है/नहीं
11	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में जमा कराये गये ई. एसआई की राशि के चालानों की छायाप्रति एवं वर्षवार लेखापत्रक (समरी)। ऐसे जिले जहाँ ESI Act 1948 वर्ष 2022-23 के बाद लागू हुआ है उन जिलों में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार लागू माह से मार्च 24 तक के चालानों की छाया प्रति संलग्न करें।	
12	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वादआदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ-पत्र।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र 100 रु. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।	है/नहीं
13	प्रतिष्ठित पशु आहार संयंत्रों में गत 5 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 30 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हो (संस्था का नाम व पता जहां श्रमिक प्रदाय किये गये हो)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं

14	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ, एवं सर्विस टेक्स इत्यादि का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है तो नोटरी का शपथ पत्र 100 रु. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।	है/नहीं
15	क्या निविदाकर्ता का शिवपुरी शहर में कार्यालय है।	यदि हां तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/नहीं
16	क्या आपकी संस्था पशु आहार संयंत्र मांगलिया(इन्दौर)/बंडोल(जबलपुर)/पचामा (सीहोर)/सागर में पूर्व में कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।	है/नहीं
17	क्या उक्त संस्थाओं से आपका अनुबन्ध कार्य अवधि से पूर्व निरस्त किया गया है।	यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।	है/नहीं
18	क्या उक्त संस्थाओं से संस्था को ब्लेक लिस्ट किया गया है।	यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील

स्थान:—

दिनांक:—

नाम:—

वर्तमान पता:—

स्थायी निवास का पता:—

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
इकाई पशु आहार संयंत्र शिवपुरी जिला शिवपुरी
॥ तीन वर्ष के लिये श्रम अनुबंध निविदा की शर्तें ॥

1. पशु आहार संयंत्र शिवपुरी में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिस के पास प्रतिष्ठित पशु आहार संयंत्रों में विगत 5 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में श्रमिक प्रदाय का अनुभव हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 30 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
2. धरोहर राशि (ई0एम0डी0) रुपये 150000/- (रु0 एक लाख पचास हजार) निविदाकार को **online** जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर **online** जमा अमानत राशि एक माह के पश्चात् बिना ब्याज के **online** द्वारा लौटायी जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी के प्रबंधन द्वारा कार्य की सूचना दिये जाने पर निर्धारित तिथि से कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर सुरक्षा निधि (SECURITY DEPOSITE) में धरोहर राशि का समायोजन किया जावेगा।
3. निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा।
4. न्यूनतम निविदाकार को पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी में कार्य हेतु लगभग 30 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय पर घटाई बढ़ाई जा सकती है।
5. निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रु0 1000/- (रु0 एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीय स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा और अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके पश्चात ही ठेकेदार का प्रथम देयक स्वीकृत कर भुगतान किया जावेगा।
6. ठेकेदार को सौपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं धरोहर राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा।
7. कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड ऐंबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाएँ खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हो और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को नेगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9. श्रमिक ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्षों तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ठेका अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त अधिकतम आगामी दो वर्षों के लिये पूर्व स्वीकृत दर एवं निर्धारित शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
10. निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित

शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि का भुगतान पशु आहार संयंत्र शिवपुरी के नाम से ही होना चाहिए किसी अन्य संघ/संस्था के नाम से नहीं होना चाहिये। निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रु. 1000/- तक की पेनाल्टी निविदाकार पर लगाई जाएगी। सफल निविदाकार यदि शिवपुरी शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरान्त कर्मचारी राज्य बीमा, शिवपुरी कार्यालय का सब कोड **+(Sub Code)** तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौती श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।

11. जिस कार्य की निविदा स्वीकृत की गई है उससे संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना दी जावेगी। तदनुसार ठेकेदार को व्यवस्था करना होगी। यदि व्यवस्था करने में ठेकेदार सफल नहीं होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार हेतु बंधनकारी होगा।
12. सफल निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक अधिकतम रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कर्समैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिकों की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन/शाखा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी कार्य हेतु प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
14. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सुरक्षा निधि रु0 300000/- (रु0 तीन लाख मात्र) अनुबंध के समय जमा करनी होगी। उक्त धरोहर राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय आदि से सम्पूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप संघ में जमा कराने के पश्चात् ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस हेतु सफल निविदाकार को धरोहर राशि रु0 150000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) को सुरक्षा निधि में समायोजित किया जावेगा।
15. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन प्रतिनिधि के समक्ष श्रमिकों की हाजिरी के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान हर माह की सात तारीख से पूर्व स्वयं के स्त्रोत से करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (**Salary Slip**) दी जाना आवश्यक होगी। जिसकी एक प्रति संस्था कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संस्था को सूचना देना होगी एवं जो श्रमिक लगातार कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाये, उनका भुगतान बैंक के माध्यम से व अन्य का विन्डो पेमेंट प्रणाली द्वारा किया जाये।

16. प्रत्येक पाली में ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक का सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में आवश्यकता पड़ने में उपस्थित नहीं पाया जाता तो प्रति पॉली अधिकतम रुपये 500/- तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। पाली के प्रारम्भ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन कराना आवश्यक होगा।
17. ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिक को फैंक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संयंत्र द्वारा मॉग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. श्रमिक ठेकेदार के नियुक्त श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को परिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध रु0 1000/- (एक हजार रुपये) प्रति श्रमिक अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा जिसकी वसूली दुग्ध संघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों को किसी भी दशा में पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
19. संयंत्र परिसर में धूम्रपान मदिरापान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रु0 1000 प्रति श्रमिक का दण्ड आरोपित किया जावेगा। अनुशासनहीनता करने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा। जिसकी वसूली संयंत्र द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी।
20. श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से संयंत्र की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझकर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंधन द्वारा क्षति की राशी का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 20 गुना तक दण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त श्रमिकों को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
21. श्रमिक ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक उपलब्ध कराना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न हो। तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संयंत्र के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तुरंत हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति सजायापता असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रखे। इस हेतु सभी श्रमिकों का स्थानीय थाने से पुलिस सत्यापन पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा वे संघ के विरुद्ध हड़ताल या धरना आन्दोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से संदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड़ताल या धरना आन्दोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवाये तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक 1000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा जिसकी वसूली श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त कर लिया जा सकेगा।
23. प्रबंधन के निर्देश अनुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवाना होगी उसके स्वयं के व्यय पर तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर लगवाना होगा। तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन

को दिया जाना आवश्यक है। ठेकेदार के श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गम्भीर बीमारी नहीं होना चाहिए। अपरिहार्य कारणों से कार्य के दौरान श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएँ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाती हैं तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

24. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट,पेण्ट एवं एक जोड़ी जूते) स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे सुदाना उत्पादन में कार्यरत श्रमिकों को एक एप्रान, टोपी, मॉस्क एवं कार्य संबंधी अन्य आवश्यक प्रोटेक्टिव गॉर्ममेंटस् भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रु0 100/-प्रति श्रमिक प्रमिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयको से वसूल किया जावेगा। निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रु.100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।
25. समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों व कारखाना अधिनियमों तथा अन्य वैधानिक नियमों को पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संयंत्र द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किए गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी। साथ ही आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
26. संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोटल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा पशु आहार संयंत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
27. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/ लगाये गये श्रमिकों का मानव दिवस (Manday) के आधार पर प्रथमतः स्वयं के स्त्रोतों से भुगतान करने के उपरांत शाखा वार सत्यापित बिल प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक,शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान उस माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
28. निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 हेतु जमा किये गये रिटर्न की स्वसत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करना होगी।

29. श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि “ इस चालान द्वारा माहमें ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु0 जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोड़ा नहीं गया है” इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयको के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
30. ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी। संविदा अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी रखना ठेकेदार को आवश्यक होगा व मॉगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
31. यदि ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से संयंत्र की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझकर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंधन द्वारा क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 20 गुना तक दण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त श्रमिकों को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
32. बोनस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी किन्तु इस पर किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरुद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी. की राशि को दुग्ध संघ स्तर से जमा कराया जावेगा।
33. भविष्य में अनुबंध की शर्तों में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। परिस्थितियों /नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की

- सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
34. श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपने निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छिपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जावेगा।
 35. श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश का ओव्हर टाईम, बोनस, गेच्युटी लाभ ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा देना आवश्यक होगा। इसके लिए रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी। रिलीवर/एवजी की मजदूरी/मूल श्रमिक के ओवरटाईम लिए द्वितीय पक्ष (संघ) द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। संघ द्वारा ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस के अनुसार भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही श्रमिकों को प्रदाय किये जाने वाले गणवेश एवं प्रोटेक्टिव गारमेण्ट्स, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण श्रमिक कल्याण निधि, दुर्घटना एवं समूह बीमा आदि पर होने वाला व्यय भी श्रमिक ठेकेदार को ही वहन करना होगा।
 36. श्रमिक ठेकेदार द्वारा बेगिंग शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय बोरे में कम वजन, बिना कोड वाले बोरे रखे जाते हैं एवं इस प्रकार की शिकायतें बाजार से प्राप्त होती है तो श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा।
 37. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN न0 कर्मचारी भविष्य निधि कोड न0 कर्मचारी बीमा कोड न0 एवं जी.एस.टी. का कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
 38. श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जावेगा। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
 39. ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 40. ठेकेदार को संयंत्र के गेट पर कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध होगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संयंत्र के अधिकृत कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
 41. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
 42. ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
 43. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
 44. यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदाकार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, ग्वालियर को संबोधित पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रतिनिधि को अधिकृत करने का उल्लेख हो।

45. यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को अधिनिर्णयार्थ अध्यक्ष ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर को सौंपा जायेगा। अध्यक्ष ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अंतिम होगा।
46. किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
47. यदि श्रमिक ठेकेदार का मुख्यालय शिवपुरी शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे शिवपुरी शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 47 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी है। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित भाव पत्र प्रपत्र में दर्ज/भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान:-

हस्ताक्षर निविदाकार

दिनांक:-

नाम:-

वर्तमान पता:-

स्थायी निवास का पता:-

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
इकाई :: पशु आहार संयंत्र शिवपुरी, जिला शिवपुरी
दर प्रपत्र

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र०	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम रु. 1,00,000/- प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट :-

1	ठेकेदार को मानव दिवस के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
2	'अ' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :-

1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान - श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान - श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी.- श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत करने पर

(स) निविदा मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करे जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :—(केवल ऑनलाईन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करे)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट— सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज 0: (शून्य प्रतिशत) भरने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

स्थान:—

दिनांक:—

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम:—

वर्तमान पता:—

स्थायी निवास का पता:—

तीन वर्ष के लिये श्रम कार्य की दरें

क्र०	कार्य का विवरण	दर (रु० में)
1	अनलोडिंग:- ट्रक द्वारा कारखाने में आने वाले माल के बोरो ट्रक से उतारना ट्रक में फेले माल को समेट कर बोरो में भरकर स्टेक के साथ लगाना 10 तक की थप्पी लगाना।	(रु०प्रतिटन)
2	लोडिंग:- आवश्यकतानुसार तैयार माल की बोरी भंडार या निर्दिष्ट स्थान से उठाकर मोटर में भरना।	(रु०प्रतिटन)
3	तैयार माल के बोरे स्लाट कनेक्टर से उठाकर गोदाम में थप्पी लगाना।	(रु०प्रतिटन)
4	हापर लगाई व कटाई :- विभिन्न प्रकार की बोरी इन्टेक हापर पर लगाना व काटना (बोरी का नीचे फेला हुआ माल भी समेट कर भरकर लगाकर काटना होगा।	(रु०प्रतिटन)
5	10 के ऊपर थप्पी लगाना (10 तक की थप्पी की दर के अतिरिक्त देय)(कच्चा माल पक्का माल)	(रु०प्रतिटन)
6	नये बारदाना की <u>गठान/एच.डी.पी.ई.बैग/बंडल</u> ट्रक से उठाकर गोदाम में जमाना व बोरी की गिनती करना।	(रु० प्रतिबंडल/गठान)
7	पुराने बारदाना झटकार कर एवं छांटकर श्रेणी अनुसार 50-50 के बंडल बांधकर निर्दिष्ट स्थान पर व्यवस्थित जमाना बंडल बांधने के लिए सुतली की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी।	(रु०प्रतिबंडल)

क्र०	कार्य का विवरण	दर (रु० में)
8	कच्चा <u>माल/पक्का</u> माल के बोरे गोदाम से उठाकर बाहर मैदान में थप्पी लगाना या बाहर से लाकर गोदाम में रखना या सीधे हापर पर थप्पी लगाना एवं काटना।	(रु०प्रतिटन)
9	कच्चा माल / पक्का माल के गोदाम से बोरो ट्रक/ट्राली द्वारा परिवहन कर मैदान में थप्पी लगाना या ट्रक/ट्राली द्वारा परिवहन कर बाहर से लाकर गोदाम में थप्पी लगाना या हापर पर लगाकर काटना।	(रु०प्रतिटन)
10	माल को एक बोरे से दूसरे बोरे में पल्टी करना।	(रु०प्रतिटन)
11	प्लांट बेसमेंट व अन्य स्थानों पर फेले माल को भरकर बोरे उठाकर गोदाम में या सीधे हापर पर थप्पी लगाना एवं काटना।	(रु०प्रतिटन)

12	विभिन्न प्रकार की बोरी प्लांट में ऊपर चढ़ाना।	(रु0प्रतिटन)
13	बारदानों के बंडल उठाकर निर्दिष्ट स्थान पर रखना।	(रु0 प्रतिबण्डल)
14	चैन स्टेक के बोरे तौलना व सुदाना आदि के बोरे समय-समय पर तौलना।	(रु0प्रतिटन)
15	सुदाना के बोरे चैन स्टेक पर पहुँचाना।	(रु0प्रतिटन)
16	जमाई खड़ी कराई जो ट्रांसपोर्टर/ट्रक ड्राइवर द्वारा देय है। न्यूनतम दर निविदाकार हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा। दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	(रु0प्रतिटन)
17	बारदाना बंडल ट्रक में डालना (क्रेता द्वारा देय) न्यूनतम दर निविदाकार हेतु गणना में नहीं लिया जावेगा। दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	(रु0 प्रतिबण्डल)
अन्य संबंधित कार्य		
क्र0	कार्य का विवरण	दर (रु0 में)
1	कच्चा माल गोदाम की मजदूरों से सफाई करवाना।	
2	पक्का माल गोदाम की मजदूरों से सफाई करवाना।	
3	प्लांट में सभी मंजिलों की सफाई मजदूरों से करवाना व बेसमेन्ट की सफाई करवाना।	
4	संयंत्र, कार्यालय, व कॉलोनी परिसर, लेट्रीन बाथरूम सफाई हेतु स्वीपर उपलब्ध कराना।	
5	ग्रामवन कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराना।	
6	अन्य कार्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराना।	
7	संयंत्र में उत्पादन कार्य में सहयोग हेतु (तीन पारियों में) अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना।	
8	कार्यालयीन कार्यों में सहयोग हेतु कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना।	
9	गोदाम के बाहर कच्ची जमीन पर रखे माल को ट्रक में भरकर गोदाम में निर्धारित स्थान पर रखना।	
10	क्र0 1 से 9 के लिये सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर प्रतिशत में।	

नोट:—

संयंत्र में सफाई हेतु झाड़ू की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं क्रमांक 01 से क्रमांक 09 तक लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये सर्विस चार्ज की दर अलग से दी जावे एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम (श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर घोषित श्रमिक दरें) के अनुसार श्रमिकों को भुगतान हो सके इस आशय को ध्यान में रखते हुये दरें प्रस्तुत की जावें ।

स्थान.....

हस्ताक्षर श्रमिक ठेकेदार

दिनांक:

नाम:—

वर्तमान पता:—

स्थायी निवास का पता:—

ई-निविदा सूचना

पशु आहार संयंत्र शिवपुरी हेतु श्रमिक ठेका ई-निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर की ईकाई पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी में ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु जिनके पास प्रतिष्ठित पशु आहार संयंत्रों में ठेका श्रमिक प्रदाय का गत पाँच वर्षों का अनुभव हो से 3 वर्ष हेतु दरें ई-निविदा द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष करके ठेके में अतिरिक्त दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। ऑन लाईन दरें दिनांक 25-09-2024 को सायं 4.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत/निविदा प्रपत्र पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.Sanchigwalior.com पर लॉग इन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी